निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

07-केदारनाथ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्रीमती शैलारानी रावत, बसन्त विहार, नाकोट वार्ड—4 नगर पंचायत अगस्त्यमुनि, जिला रूद्रप्रयाग जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़ी की गईं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गई हैं।

स्थान— अगस्त्यमुनि तारीख—10/03/2022

रिटर्निंगे आफिसर

07-केदारनाथ विधानसभा निर्वाचन क्षे

Conduct of Elections Rules, 1961

(Statutory Rules And Order) FORM 21C

(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

*Election to the Legislative Assembly of <u>Uttarakhand</u> from <u>7-Kedarnath</u> Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

SHAILA RANI RAWAT

Basant Vihar, Nakot Ward 4, Nagar Panchayat Agastyamuni, District Rudraprayag [sponsored by **Bharatiya Janata Party**] has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: AGASTYAMUNZ

Date: 11-03-2022

(Shri Jitender Verma)

Returning Officer

07-Kedarnath

Legislative Assembly Constituency

रिटर्निग आफिसर 07—केदारनाथ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र